संचालनालय कोष एवं लेखा

म0प्र0 शासन

क्रमांक/डी.टी.ए./IFMIS/TR/2015/ई-359 दिनांक 20-8-2015

प्रति,

अपर मुख्य सचिव

योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

म0प्र0 भोपाल।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 का प्लान आई.एफ.एम.आई.एस. परियोजना के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से तैयार करने बाबत्।

विषयांतर्गत कोषालयीन कम्प्यूटराईजेशन परियोजना के तहत वर्तमान में केन्द्रीयकृत राज्य वित्तीय प्रबधन प्रणाली (सी-एस.एफ.एम.एस.) सफलतापूर्वक संचालित है जिसका उपयोग आपके विभाग द्वारा कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। उक्त परियोजना के सफल संचालन में आपके विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। म0प्र0 शासन वित्त विभाग के निर्देशन में संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा विषयाधीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एकीकृत वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस.) का विकास किया जा रहा है। साफ्टवेयर के अंतर्गत मूलत: तीन सबसिस्टम, वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली(एफ.एम.आई.एस.), मानव संसाधन प्रबधन एवं सूचना प्रणाली (एच.आर.एम.आई.एस.) तथा पेंशन प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली(पी.एम.आई.एस.) है। उक्त सॉफ्टवेयर के द्वारा समस्त विभागों की समस्त ऐसी गतिविधियां जो प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय प्रबधन को प्रभावित करती है, को सम्मिलित किया गया है। प्रतिवर्ष होने वाले योजना एवं बजट की कार्यवाही भी उक्त साफ्टवेयर के अंतर्गत की जायेगी।

आई.एफ.एम.आई.एस. एप्लीकेशन का प्रस्तुतीकरण आपके विभाग में पूर्व में तीन बार किया गया है। एप्लीकेशन की यू.ए.टी. टेस्टिंग आपके विभाग के द्वारा नामांकित सदस्यो द्वारा पूर्ण की गयी है उनके द्वारा बताये गये सुझाव/अभिमत को शामिल कर एप्लीकेशन तैयार की गयी। प्लान मॉड्यूल की एप्लीकेशन पायलट गो लाईव हेतु तैयार है।

प्लान तथा बजट माड्यूल्स का पायलट गो-लाइव माह अगस्त 2015 के अंत में किया जाना संभावित है। उक्त पायलट गो-लाइव में समस्त योजना से संबंधित समस्त विभाग सम्मिलित किये जाएगें। जिसके लिए जिला स्तर तक योजना से संबंधित समस्त अधिकारियो एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेसर्स टी.सी.एस. द्वारा उक्त माड्यूल का प्रशिक्षण दिनांक 24.08.2015 से दिया जाना संभावित है। प्रत्येक यूजर के पास सिस्टम होना आवश्यक है।

उपरोक्त के संबध में आपके और आपके अधीनस्थ कार्यालय में आवश्यक तैयारियों हेतु अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने का अनुरोध है।

19.8.2015

O/C वि.क.अ. सह आयुक्त

कोष एवं लेखा